विधान परिषद के तृतीय सत्र, 2022 के प्रथम मंगलवार के लिये निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा. सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–14 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
14 (क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि उ.प्र. में देशी शराब बेचने के लिये ठेका व लाइसेंस जारी करने में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है?	जी नहीं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची संख्या–2 की प्रविष्टि संख्या–8 के अन्तर्गत राज्य सरकार को पेय मदिरा के उत्पादन, वितरण व व्यापार पर एकांतिक विशेषाधिकार प्राप्त है। राज्य सरकार इस अधिकार को जन सामान्य को हस्तान्तरित करती है और इस हस्तान्तरण से प्राप्त होने वाले राजस्व का उपभोग राज्य की विकास योजनाओं को संचालित किये जाने में किया जाता है। उपरोक्त के दृष्टिगत राज्य सरकार प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष हेतु आबकारी नीति जारी करती है और वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु जारी आबकारी नीति के तहत प्रदेश की आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन कराया जा चुका है।
(ख) यदि हॉ, तो अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को कितने प्रतिशत शराब बेचने के लिए दुकानों का आवंटन किया गया है, उतने ही प्रतिशत उन्हें शराब पीने का कोटा निर्धारण करेंगे?	प्रश्न नहीं उठता।
(ग) यदि हॉ, तो कब तक?	उपरोक्तानुसार।
(घ) यदि नहीं, तो क्यों?	आबकारी दुकानों के आवंटन में आरक्षण की व्यवस्था व्यवहारिक, सामाजिक, संवैधानिक दृष्टि से तथा प्रदेश के व्यापक राजस्वहित में औचित्यपूर्ण नहीं है।

नितिन अग्रवाल
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
आबकारी विभाग